

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-30/2007

/कृ०, पटना, दिनांक जून 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स अरिहन्त इंटरनेशनल,
सुरभि बिहार कॉलोनी,
भूपतिपुर, पो०-ढेलमा, कंकड़बाग पटना-20

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-27-28 दिनांक 26.11.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2016 मे इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स ओशो वरिष सेन्टर द्वारा विनिर्मित निम्नांकित 11 कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 27-28 दिनांक 26.11.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स ओशो वरिष सेन्टर	Neem oil based EC containing Azadirachtin 0.03% w/w Min
2		Neem seed Kernel based EC containing Azadirachtin 0.15% EC
3		Neem seed Kernel based EC containing Azadirachtin 0.1% (10000 ppm) min
4		Sulphur 40% SC
5		Lime Sulphur 22% SC
6		Imidacioprid 17.8% SL
7		Profenophos 50% EC
8		Acetamiprid 20% SP
9		Hexaconazole 5% EC
10		Carbendazim 50% WP
11		Pendimethalin 30% EC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स अरिहन्त इंटरनेशनल, अशोक निवास, भूपतिपुर, पो०-ढेलमा, कंकड़बाग, पटना-20

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

3264

/कृ०, पटना, दिनांक 10 जून, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।